न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०) बदायूँ।

सरकार बनाम ब्रहमपाल।

सत्रवाद संख्या–1374/2018

धारा–138 बी विद्युत अधिनियम

थाना–उघैती, जनपद बदायूँ।

नाम–. ब्रहमपाल उम्र .66 साल .पिता का नाम सत्यराम

निवासी– .ग्राम कोठा .थाना–उघैती जिला–.बदायूँ पेशा–.खेती

प्र०नं० 1– क्या आप दिनांक 25.03.2017 को विद्युत विभाग की टीम द्वारा चैकिंग किये जाने पर आप बकाया विद्युत बिल जमा किये अपने परिसर में अनाधिकृत रूप विद्युत चोरी करते हुए पाये गए?

उत्तर– जी हाँ

प्र०नं० 2– क्या आप स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं ?

उत्तर– जी हाँ।

प्र०नं० 3– क्या आपको कुछ और कहना है ?

उत्तर– जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) ने कथन किया है कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंड़ित किया जाये।

मैंने अभियुक्त व विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

अभियुक्त ब्रहमपाल उपरोक्त को विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के अंतर्गत कुल – 3800/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 15 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 09.05.2026

(नुपुर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०),
जनपद– बदायूँ।